



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257660
CG-DL-E-03102024-257660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3960]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946

No. 3960]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4319(अ).—केंद्र सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के दिनांक 26 दिसंबर, 2023 के का.आ.सं. 5459(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त आदेश की प्रस्तावना के पैरा 4 में, “30 जून, 2024 तक” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “31 दिसंबर, 2024 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या एस.ओ.5459 (ई), दिनांक 26 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के नोट 1 को इस प्रकार पढ़ा जाए:-

“माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित निर्णयाधीन मामले के परिणाम के अध्यधीन, प्रारंभ में खान्दानों के लिए मांग के दस प्रतिशत ऑर्डर सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर रिवर्स नीलामी के माध्यम से दिए जाने हैं।”

[फा.सं. जे-7/2/2023-पटसन]

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii)में का.आ.सं. 5459(अ) दिनांक 26 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था |

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 1st October, 2024

S.O. 4319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii) vide number S.O. 5459(E), dated the 26th December, 2023, namely:-

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters “up to the 30th June, 2024”, the words, figures and letters “up to the 31st December, 2024 or until further orders, whichever is earlier” shall be substituted.

Note 1 of the Notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 5459 (E), dated the 26th December, 2023 may be read as :-

“Subject to the outcome of sub-judice matter pending in Hon’ble High Court of Calcutta, Initially ten per cent of the indents for foodgrains are to be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.”

[F. No. J-7/2/2023-Jute Section]

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 5459(E), dated the 26th December, 2023.